(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 32/2019- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, उन सभी वस्तुओं पर, जिनका आयात संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के द्वारा उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया हो, जो कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की सूची में दी गई है, उस संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत लगाया जा सकता है, बशर्ते कि आयातक, माल की निकासी के समय, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उपायुक्त, जिसके अधिकार क्षेत्र का मामला हो, के समक्ष, भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है,–

(i) ऐसी वस्तुओं की मात्रा एवं विवरण अभिप्रमाणित किया जाए; और
(ii) वह यह भी अभिप्रमाणित करे कि उक्त वस्तुओं का प्रयोग उक्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ही किया जाना है

अनुबंध

(1) पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि और खाद्य प्रणाली की क्षमता का संवर्द्धन,

(2) हरित कृषि: विश्व पर्यावरण के लाभ के लिए भारतीय कृषि में सुधार और संकटग्रस्त्र जैव विविधता और वन क्षेत्र का संरक्षण ।

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार